लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण

मेसर्स रियल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) द्वारा वर्तमान में स्थापित 7.5 मेगावॉट पॉवर प्लांट के परिसर में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् 1x9 MVA SEAF से Si-Mn-14,400 **टीपीए या** Fe-Mn-25,200 **टीपीए** Fe-Cr-15,000 **टीपीए या** Fe-Si-7,000 **टीपीए या पिग आयरन**–25,200 **टीपीए के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 08.11.2019 दिन–शुक्रवार, समय–12.00 बजे, स्थान–शासकीय प्राथमिक शाला खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–**

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स रियल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) द्वारा वर्तमान में स्थापित 7.5 मेगावॉट पॉवर प्लांट के परिसर में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् 1x9 MVA SEAF से Si-Mn-14,400 टीपीए या Fe-Mn-25,200 टीपीए Fe-Cr-15,000 टीपीए या Fe-Si-7,000 टीपीए या पिग आयरन–25,200 टीपीए के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र नवभारत, बिलासपुर में दिनांक 06.10.2019 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 06.10.2019 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2019 दिन–शुक्रवार, समय–12.00 बजे, स्थान–शासकीय प्राथमिक शाला खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर मुंगेली, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुंगेली, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया, जिला–मुंगेली, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम–पंचायत रामबोड़, धमनी, टिकैत पेण्ड्री, अण्डा, ककेड़ी, मोहदी, लुकउकापा, उमरिया, सल्फा, एवं खपरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.), मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विन्ग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नई दिल्ली, सदस्य सचिव, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी

होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् पॉवर प्लांट के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 08.11.2019 दिन–शुक्रवार, समय–12.00 बजे, स्थान–शासकीय प्राथमिक शाला खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री राजेश नशीने, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. सुरेश चंद्र, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् प्रस्तावक की ओर से श्री शिव अग्रवाल डायरेक्टर, **मेसर्स रियल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)** द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् पॉवर प्लांट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई। उन्होने बताया कि हमारे पास 26.28 एकड भूमि उपलब्ध है। अन्य कोई जमीन नहीं ली जायेगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कारगर उपाये अपनाया जायेगा। जल के संबंध में शून्य निस्सारण का पालन किया जा रहा है एवं क्षमता विस्तार के बाद भी इसी का पालन किया जायेगा। अभी तक लगभग 8500 वृक्षारोपण किया गया है। योग्यता अनुसार स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री प्रफुल शर्मा, ग्राम पंचायत रामबोर्ड, उपसरपंच** :– ग्राम रामबोड में महामाया के पास प्रवेश द्वारा चाहता हूँ। महामाया मंदिर के जीर्वोधार चाहता हूँ। योग्यता अनुसार स्थानीयों को रोजगार चाहता हूै।

2. **श्री हेमकेशवर कौशिक ग्राम पंचायत अण्डा, उपसरपंच** :– बहुत अच्छी बात है किम हमारे क्षेत्र में एक स्टील प्लांट खुल रहा है। स्थानीय लोगो को योग्यता अनुसार उसको नौकरी दी जाये। आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग करें। डस्ट न उडने पाये, किसानों को क्षति न हों।

3. **श्री परस शर्मा गाम रामबोड** :– बेरोजगारी का समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत है। पॉवर प्लांट का स्वागत है। पानी की समस्या है तो रामबोड में पीने योग्य पानी की व्यवस्था कर दिये जाये। हमारे गांव की समस्या का समाधान करें। गांव का सड़क बनाने की कृपा करें। पर्यावरण की सुरक्षा करें।

4. **श्रीमती अंजुला सिंग, खम्हारडीह** :– पॉवर प्लांट का स्वागत है। कोई तकलीफ नहीं है। बेरोजगारी बहुत है। इससे स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी।

5. **श्री रसीद खान, नगर पंचायत सरगांव** :– पानी की समस्या है। इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाये। पॉवर प्लांट 7.5 से 14 मेगावाट करने चाहते है उसका स्वागत है। पब्लिक और फेक्ट्री के बीच में टकराव न हो। 22 चक्के का हईवा चलने से रोड खराब होता है। इस रोड के उपर ध्यान दिया जाये। पानी, पर्यावरण का ध्यान रखे। खेल के माध्यम से सहायता करें। बेरोजगारो को रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारो को रोजगार दे। उससे बेरोजगारो परिवारो का अहसान रहेगा।

6. **श्री अजीत कुमार बारमते, ग्राम पंचायत उमरिया उपसरपंच** :– काला डस्ट को रोड में डाल दिया गया है, जिससे मेरे गांव को परेशानी हो रही है। जिसकी धकाई की जाये। जिससे धूल उडने पर नुकसान न हो। बेड मटेरियल की मांग की गई। कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर ध्यान दिया जाये। इसके लिए मै गंभीर हूॅं। गर्मी में धूल उडता है जिससे सब परेशान है।

7. **श्री सीताराम ध्रुव, खम्हारडीह** :– हमारे गांव में जो विकास हो रहा है। पॉवर प्लांट 7 से 14 हो गया है बहुत खुशी की बात है योग्यता अनुसार रोजगार मिलेगा। पेड पौधे पर विशेष ध्यान दें। 1 से 4 खुले हमको कोई आपत्ति नहीं है।

8. **श्री कमल प्रसाद डहरिया, सरपंच ककेडी** :– पॉवर प्लांट पर बधाई देता हूॅं। स्थानीय लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार मिले। सम्मान करता हूॅं। स्कूल में कीचड हो रहा है। हम गोहार लगा रहे है। कोई फायदा नहीं हुआ। सहयोग के लिए आग्रह करता हूॅं। प्लांट महोदय सहयोग करें।

9. **श्री भुखन लाल सोनचे, ग्राम पंचायत टिकैतपेण्ड्री, सरपंच प्रतिनिधि** :– डस्ट का बेड मटेरियल का मांग करते है। प्लांट सहयोग करें। रोड का चौडीकरण कराये। बेरोजगार लोगो को रोजगार दे।

10. **श्री कैलाश सिंह ठाकुर मंडल अध्यक्ष सरगांव, ग्राम टिकैतपेण्ड्री** :— प्लांट तो लगना चाहिए। विकास के लिए। पर्यावरण का खयाल करते हुए काम करना चाहिए। प्लांट में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाये। इसकी सुरक्षा करे। घेरे की व्यवस्था करें। 10,000 की जगह क्राईटेरिया है तो 12000 पौधे लगाये। ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों जो बेरोजगार है उनको नौकरी दे। पर्यावरण के कडे नियम का पालन करे। प्लांट रोड में पानी का छिडकाव तो होता रहता है उस पर और ध्यान दें।

11. **श्री नरेन्द्र शर्मा जिला महामंत्री मुंगेली** :— ये हमारा गांव है। मेरी खेती बाडी यहां है। गांव प्रदेश के विकास के लिए व्यवसाय उद्योग बहुत जरूरी है। प्लांट 15 साल से चल रहा है शिकायत नहीं आई है। प्लांट को थोडा बहुत सहयोग करना चाहिए। प्लांट से नव युवक लडको को रोजगार मिले।

12. **श्री लोचन शर्मा, रामबोड** :— पॉवर प्लांट खुले हामी भरना है। धूल प्रदूषण है। उसको रोकना है। नई तो गांव के आदमी को परेशानी होगा। बेराजगार को काम तो मिलेगा ही। प्रदूषण जब तक है तब तक भलाई नहीं है। तालाब में डस्ट जाता है। प्रदूषण को रोकना है। नहीं तो जीवन दूभर हो जायेगा। पौधा लगाना जरूरी है। बाहर से आता है उसको काम मिल जाता है। गांव के लोग जाते है तो उसको कहते है बाद में आना ये कहां का नियम है। पहली प्राथमिकता गांव को मिले।

13. **श्री बृजेश शर्मा, सरगांव** :— खुशी की बात है गांव में प्लांट लग रहा है। गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। 10,000 से 20,000 वृक्षारोपण किया जाता है। प्लांट बहुत ज्यादा वृक्षारोपण कराता है। प्लांट में हरियाली है।

14. **श्रीमती जानकुंवर, खम्हारडीह** :— नरवा किनारे खेती है। बुड जाता है। हमको कुछ नहीं मिलता है। करेंट में चपट गया है उसको भी कुछ नहीं मिला। कुछ मिलना चाहिए। चांवल नहीं मिलता है, गर्भवती को भी कुछ नहीं मिलता है। निराश्रित पेंशन मुझको नहीं मिलता है मिलना चाहिए।

15. **श्री हेमराम वर्मा ग्राम रामबोड** :— लडके लोग को सर्विस मिले। किसानों को फसल का नुकसान भी मिलना चाहिए। किसी का क्षति नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री द्वारा नहीं तो देनदार फैक्ट्री होगा। ?

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1.30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री शिव अग्रवाल डायरेक्टर, **मेसर्स रियल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)** के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। इनके द्वारा बताया गया है। योग्यता अनुसार आवश्यकता अनुसार हम यहां रोजगार देंगे। जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या नहीं आयेगी। यह हमारा वादा है, वृक्षारोपण सघन रूप से हम लोग करते है। मै खुद वृक्षारोपण करता हूॅं। समय–समय पर स्वास्थ केन्द्र का आयोजन करते है, निर्धन कन्या का सहयोग करते है व मृत्यु कर्म के लिये भी हम सहयोग करते है। आपकी समस्यों का गांव वालो के साथ बैठकर समाधान करेंगे। लगभग 2.00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 146 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 15 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 105 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–मुंगेली (छ.ग.)